प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में भारतीय नौसेना पोतों के रीफिट्स की योजना एवं प्रबन्धन से संबंधित विषयों की लेखापरीक्षा द्वारा जांच के परिणाम समाविष्ट हैं। लेखापरीक्षा में 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि सम्मिलित है और इसे 2012-13 की अवधि, जहां कहीं इस प्रतिवेदन में उल्लिखित है, अद्यतन किया गया है।